न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बाढ (पटना) उपस्थित:- विवेक भारद्वाज निर्णय तिथी:- 30-04-2026 सत्रवाद संख्या - 1282/2010 सी आई एस नं0- 100/2010 प्राथमिकी संख्या – 05/2010, थाना – सकसोहरा
बनाम् बिहार राज्य सरकार सूचक – राम अवध सिंह, पु0 अ0 नि सह थानाध्यक्ष सकसोहरा जिला – पटना

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री जगत नरायण सिंह, अपर लोक अभियोजक, बाढ।
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री रजनीश कुमार (अधिवक्ता)

प्राथमिकी की तिथी	28.04.2010
आरोप पत्र की तिथी	25.06.2010
आरोप गठन की तिथी	07.12.2010
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथी	18.05.2013
अभियोजन साक्ष्य बदं होने की तिथी	12.12.2025
धारा 313 दं प्र स की तिथी	11.02.2026
निर्णय सुरक्षित करने की तिथी	23.04.2026
निर्णय की तिथी	30.04.2026
दण्डादेश की तिथी, यदि हैं तो–	नहीं

30/4/26

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	A-1
अभियुक्त का नाम	चन्दन राम उर्फ लोथु, पिता – प्रमोद राम साकिन – नदावां, थाना – बाढ, जिला – पटना
गिरफतारी की तिथी	
जमानत पर मुक्त होने की तिथी	
आरोप	25(1–b)a,26 शस्त्र अधिनियम
दोष मुक्ति/दोष सिद्धि	दोष मुक्ति
दण्ड की मात्रा	
धारा 428 दं प्र सं के उद्देश्यों के लिए, विचारण के दौरान अभिरक्षा–अवधी	

अभियोजन/बचाव पक्ष एवं न्यायालय साक्षियों की सूची।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

क्रम संख्या	साक्षियों के नाम	साक्षियों की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सा साक्ष्य एवं अन्य गवाह
01	परमानंद प्रसाद	जब्ती सूची गवाह

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

क्रम संख्या	साक्षियों के नाम	साक्षियों की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सा साक्ष्य एवं अन्य गवाह

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

क्रम संख्या	साक्षियों के नाम	साक्षियों की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सा साक्ष्य एवं अन्य गवाह

30/4/26

अभियोजन एवं प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श – 01	जब्ती सूची पर गवाह का हस्ताक्षर

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

वस्तु प्रस्तुत प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

निर्णय

01. एक मात्र अभियुक्त चन्दन राम उर्फ लोथु के विरूद्ध धारा 25(1–b)a,26 शस्त्र अधिनियम के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध हेतू आरोप प्रारित हैं।

02. सूचक पु0 अ0 नि0 सह थानाध्यक्ष सकसोहरा, के लिखीत आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक संक्षेप में यह हैं कि दिनांक 28.04.2010 को समय 17:00 बजे स0 अ0 नि0 नरेन्द्र सिंह, स0 अ0 नि0 दिग्विजय सिंह, सिपाही 3964 सकल यादव, सिपाही 239 वचन देव वर्मा, सिपाही 556 रामबली यादव के साथ संध्या गश्ती के लिए थाना से प्रस्थान किया। गस्ती करते हुए जब सकसोहरा बाजार के पास पहूंचे तो गुप्त सूचना मिली कि लक्षुचक तिराहा स्थित बाबा लाईन होटल सकसोहरा में कुछ अज्ञात व्यक्ति बैठे हैं, जिसके पास अवैध हथियार हैं, जो कोई अप्रिय घटना करने के लिये बैठे हैं। इस सूचना पर उपरोक्त बल को आवश्यक निर्देश देते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु उपरोक्त बल के साथ लक्षुचक लाईन होटल के पास आये कि एक व्यक्ति जो होटल के पास बैठा हुआ था, पुलिस बल को देखकर भागने लगा। अपने साथ उपरोक्त बल के सहयोग से भागते हुए व्यक्ति को लक्षुचक पकंज डिपो के सामने एन एच 30ए पक्की रोड पर समय करीब 18:00 बजे पकडे। पुलिस बल के इस कार्य को देखकर वहां पर भीड इकट्ठा हो गई। इकट्ठा भीड मे से दो स्वतंत्र साक्षी परमानदं प्रसाद एवं रणजीत मांझी के समक्ष पकडाये व्यक्ति का नाम पता पुछा तो अपना नाम चन्दन राम उर्फ लोथु बताये। इनका शरीर का तलाशी लेने पर फूलपेटं के बांये कमर में लोहे का बना 9 एम एम देशी पिस्तल लोड हालत में बरामद किया गया। अवैध आग्नेयास्त्र रखने के संबंध में पुछे जाने पर कोई वैध कागजत प्रस्तुत नहीं किये। पिस्तल के मैगजीन को खोलकर देखने से 9 एम एम का आठ जिन्दा गोली, जिसमे तीन के पेंदे पर 9 एम एम 2 जेड के एफ–01 एवं पांच गोली के पेन्दी पर 9 एम एम डबलु आर ए0 लिखा हुआ पाया गया। उपरोक्त आग्नेयास्त्र रखने के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं करने एवं संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर बरामद 9 एम एम देशी पिस्तल एवं आठ अदद जिन्दा कारतुस का उपरोक्त दोनो स्वतंत्र साक्षी परमानंद प्रसाद एवं

30/4/26

रणजीत मांझी के समक्ष विधिवत जव्ती सूची बनाकर जब्त किया, जिस पर साक्षियो ने स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर एवं अंगुठे का निशान बनाये।

03. सूचक पु0 अ0 नि0 सह थानाध्यक्ष सकसोहरा, के लिखीत आवेदन के आधार पर अभियुक्त चन्दन राम उर्फ लोथु के विरुद्ध धारा 25(1–b)a,26 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत सकसोहरा थाना कांड संख्या 05/2010, दिनांक 28.04.2010 दर्ज किया गया। सम्यक अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानकर्ता के द्वारा दिनांक 25.06.2010 को अभियुक्त चन्दन राम उर्फ लोथु के विरुद्ध धारा 25(1–b)a,26 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 15/2010, दिनांक 25.06.2010 समर्पित किया गया। जिसके आलोक में तत्कालीन अनुमंडलीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ द्वारा आरोप पत्र की धाराओं के अर्न्तगत नामित अभियुक्त चन्दन राम उर्फ लोथ के विरुद्ध संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को पुलिस प्रपत्र दिया गया। चुंकि धारा 25(1–b)a,26 शस्त्र अधिनियम सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं अतः दिनांक 20.08.2010 को न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त का वाद दौरा सूपूर्द किया गया जो विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना से वाद विचारण हेतू इस न्यायालय में दिनांक 03.10.2023 को हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ।

04. सत्र न्यायालय में अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण होने पर अभियुक्त चन्दन राम उर्फ लोथु के विरुद्ध दिनांक 07.12.2010 को धारा 25(1–b)a,26 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया वह समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

05. तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य लाने हेतु सारी प्रकियाएं की गई। अतः दिनांक 12.12.2025 को अभियोजन के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया तथा दिनांक 11.02.2026 को नामित अभियुक्त चन्दन राम उर्फ लोथु का धारा 313 दं. प्र. सं. के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया, जिसमें आवेदक अभियुक्त स्वयं को निर्दोष बताया है।

06. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि ––

(क) क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

(ख) यदि आरोप साबित हुआ है तो अभियुक्त को कितना दण्ड निर्धारित किया जायेगा।

30/4/26

मंतव्य

07. अभियोजन द्वारा इस घटना के समर्थन में मात्र एक साक्षी का साक्ष्य कराया गया जिसमें, अभियोजन साक्षी संख्या–1. परमानंद प्रसाद, मौखिक साक्षी है।

08. बचाव पक्ष की ओर से भी कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य सफाई के कम में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

09. अभियोजन एंव बचाव पक्ष के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना।

10. साक्षी संख्या–1 परमानंद प्रसाद, जो कि जब्ती सूची के साक्षी हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथनाक के संबंध में यह अभिकथन किया हैं कि ये जब्ती सूची पर अपने दुकान के सामने अपना हस्ताक्षर किये थे, जिन्हें प्रदर्श 01 अंकित किया गया हैं। अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन द्वारा इन्हें पक्षद्रोही घोषित कराकर इनका प्रतिपरीक्षण किया गया, जिसमे साक्षी का कथन हैं कि यह कहना गलत हैं कि इन्होंने पुलिस के दबाव में आकर यह दस्तखत सादा कागज पर किया था। वहीं बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतीपरीक्षण में साक्षी का कथन हैं कि दिनांक 28.04.2010 को इनके सामने कोई आग्नेयास्त्र या गोली की बरामदगी पुलिस द्वारा नहीं किया गया था। जिस सादा कागज पर इन्होंने अपना हस्ताक्षर किया था उस कागज पर क्या लिखा गया इन्हें आज तक इसकी जानकारी नहीं हैं।

निष्कर्ष

12. उभय पक्षों को सुनने और अभिलेख परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रश्न यह है कि क्या कथित तिथि, समय और स्थान पर कोई घटना घटित हुई थी। अभियोजन की ओर से मात्र एक अभियोजन साक्षीं का मौखिक साक्ष्य कराया गया हैं जिसमे साक्षी संख्या 01 परमानन्द प्रसाद हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया हैं कि ये जब्ती सूची पर अपने दुकान के सामने अपना हस्ताक्षर किये थे, जिन्हें प्रदर्श 01 अंकित किया गया हैं। अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करने के कारण इन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। वहीं बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतीपरीक्षण में साक्षी का कथन हैं कि दिनांक 28.04.2010 को इनके सामने कोई आग्नेयास्त्र या गोली की बरामदगी पुलिस द्वारा नहीं किया गया था, जिस सादा कागज पर इन्होंने अपना हस्ताक्षर किया था उस कागज पर क्या लिखा गया इन्हें आज तक इसकी जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने घटना के संबंध में अन्य कोई उल्लेखणीय बात अपने साक्ष्य के संदंर्भ मे नहीं कहा है जो घटना का समर्थन करता हो। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप का समर्थन नही किया है। इसके अलावा अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया। अभियोजन द्वारा इस वाद मे न तो सूचक और न ही अनुसंधानकर्ता या अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य कराया गया हैं और न ही इनके साक्ष्य नहीं कराये जाने का कोई कारण ही न्यायालय को बताया गया हैं। इनके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन की ओर से अभिलेखगत नही कराया गया हैं।

30/4/26

आदेश

13. उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन तथा विश्लेषण के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त चन्दन राम उर्फ

लोथु के विरुद्ध लगाये गये आरोप धारा 25(1–b)a,26 शस्त्र अधिनियम को पूर्णरुप से साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः उक्त नामित अभियुक्त चन्दन राम उर्फ लोथु को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप धारा 25(1–b)a,26 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त करते हुए रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है।

14. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख की सारी प्रक्रियाऐं पूर्ण होने के उपरान्त अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में भेंजे।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
बाढ़, पटना
दिनांक– 30/04/2026

निर्णय आज खुले न्यायालय में टंकित एवं शुद्धित किया गया तथा मेरे द्वारा सुनाया गया।

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
बाढ़, पटना
दिनांक– 30/04/2026